INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 2 | MARCH – 2024

"सम्राट अशोक का लोकहित में प्राणिमात्र की रक्षा का अध्ययन"

डॉ. स्वाति प्रीती
इतिहास विभाग,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद एक प्रजा वत्सल सम्राट बन गया इसलिए उन्होंने प्राणिमात्र की रक्षा हेतु लोककल्याण कारी कार्यो को प्राथमिकता दी। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य की प्रजा को प्रत्येक सम्भव सुविधायें उपलब्ध करायी थी। उन्होंने प्राणियों की रक्षा हेतु आने जाने के लिए सडकें, विश्राम के लिए धर्म शालाएं व शरायें, चिकित्सा व्यवस्था के लिए औषधालय और प्रजा को शिक्षित करने की दृष्टि से स्कूलों का भी सभी प्रान्तों में निर्माण करवाया इसके अलावा प्राणियो को विश्राम या पथिकों को आराम हेतु सभी सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाये और प्राणि हितार्थ के लिए विभिन्न कुओं, बावलियों तथा तालाबों इत्यादि का भी निर्माण करवाया।

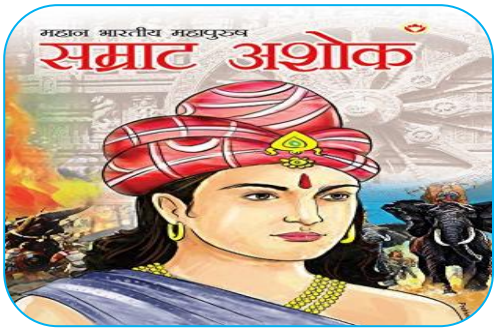

सम्राट अशोक ने प्रजा की रक्षा के लिए प्रजा की सम्पूर्ण सूचनाएं उसे उचित समय पर मिलती रहे उसके लिए उन्होंने प्रतिवेदक नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। सम्राट द्वारा नियुक्ति किये गये प्रतिवेदक प्रजा की सूचनाओं को बिना किसी व्यवधान के कभी भी अशोक तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी थे इतना ही नहीं उन्होंने प्रजा के भलाई के कुछ उत्सवों, समारोहों, एवं अनुष्ठानों पर पाबन्दी लगाया जहाँ शराब, नृत्य एवं मांस इत्यादि का उपयोग होता था। अशोक ने ऐसा इस उद्देश्य से किया ताकि प्रजा की आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आये और लोग प्राणी रक्षा के प्रति उन्मुख हो। अशोक ने प्राणियों को सम्बल देने हेतु पशु बली पर रोक लगा दी और मांस भक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अशोक ने अपनी लोकहित कार्य को व्यापक रूप प्रदान करते हुये कुछ कैदियों को साम्राज्य के विशेष अवसरों पर रिहा करने का प्रचलन जारी कर दिया। इस तरह अशोक ने साम्राज्य के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से भी उदारता का व्यवहार किया। उन्होंन यह भी आदेश प्रसारित कर दिया कि जिन कैदियों को फांसी की सजा दी गयी है उन्हें दण्ड प्रायश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया जाय। अशोक ने मानव कलयाण को सर्वोप्रमुख बनाने हेतु धम्म महापात्रों की नियुक्त की जो मौर्य साम्राज्य के प्रजा के धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के साथ–साथ धार्मिक गतिविधियों में सहयोग भी करते थे। अशोक ने प्राणिमात्र की रक्षा की भावना से अपनी यात्राओं के दौरान वह साधु सन्तों एवं वृद्धों का दर्शन भी करता था ताकि प्रजा के बीच एक सहृदय शासक की छवि बन सके। सम्राट अशोक अपने लोकहित कार्यो में प्राणिमात्र की रक्षा करने के लए केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के इतिहास में अपना गौरव पूर्ण स्थान रखता है।

मुख्य शब्द – सम्राट अशोक, लोकहित, प्राणिमात्र एवं रक्षा।

प्रस्तावना –

सम्राट अशोक ने लोकहित में प्राणिमात्र की रक्षा को सिद्धान्तकारी के रूप में न मानकर व्यावहारिक स्वरूप में अपनाने का एक सफल प्रयास किया था, अशोक ने लोकहित की दृष्टि से जो भी स्वविचार अपने

अभिलेखों में विश्लेषित किये हैं, उसे अशोक ने प्राणिमात्र की रक्षा के लिए समय–समय पर व्यवहार में लाने का भी अनुरोध अपने साम्राज्य की प्रजाओं से किया। अशोक का लोकहित प्राणिमात्र को रक्षा हेतु कथनी में नहीं, अपितु करनी में भी वास्तविक रूप में अभिव्यक्त हुआ था। सम्राट अशोक ने लोकहित में प्राणिमात्र की रक्षा के लिए जो कहा और किया वह वर्तमान समय में भी प्रजातंत्र के इस युग में प्रासंगिक है। उन्होंने लोकहित की भावना से राष्ट्र के कोने–कोने में शान्ति, सुख, आश्रम एवं विश्राम करने हेतु चैत्य, बिहार तथा गुफाओं का निर्माण करवाया। प्राणिमात्र की रक्षा के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए कुएँ, बाबली व तालाबों का निर्माण प्रत्येक क्षेत्रों में करवाया। उन्होंने प्राणिमात्र की रक्षा हेतु देश में एक छोर से दूसरे छोर तक सड़कों का निर्माण करवाया और उनके किनारों पर फलदार व पथिक विश्राम की दृष्टि से छायादार वृक्षों का रोपण करवाये। इस प्रकार सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रजा सुख–शांति व समृद्धि की ओर अग्रसर थी, प्रजा की समृद्धता के कारण ही मौर्य साम्राज्य में भाई–चारे का सुखद वातावरण निर्मित हुआ, जिसके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य की प्रजा में विश्व बन्धुत्व व राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ।

सम्राट अशोक के शासनकाल में लोकहित की भावना प्रबल होने से प्राणिमात्र की रक्षा भी धीरे–धीरे बलवती हो रही थी, जिसका सुखद फल यह रहा है कि मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के औजारों के सहारे स्वर्ण आभूषणों के अतिरिक्त अन्य दूसरे तरह के वस्तुएं अलग–अलग विधियों से बनने लगी थी, जिनका उद्देश्य प्राणी मात्र का रक्षा करना था। अनक आकार, प्रकार एवं वजन के धातु के सिक्कें प्रचलन में लाने के लिए विभिन्न तरीके से बनाये जाने लगे थे। मौर्यकाल में सोना की शुद्धता को परखने हेतु कसौटी का उपयोग किया जाता था। इनके शासनकाल में प्राणियों को धोखे व चापलूसी से बचाने के उद्देश्य से सोना व चांदी को शुद्ध करने की नयी तकनीक विकसित की गयी थी और मानव जीवन को सुखद बनाने हेतु रासायनिक विधियों के प्रयोग से वस्तुओं को तरासा जाने लगा था। मौर्यकाल में ही चांदी, तांबा, शीश, अंजन एवं तीक्ष्णत्रपु को आपस में समेकित कर सिक्कों का निर्माण किया जाने लगा था ताकि मनुष्यों के लेन–देन के प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इन सिक्कों का वजन भिन्न–भिन्न होता था। वस्तुओं को तौलने के लिए 8 तरह की तुलावों का सहस्र उपयोग किया जाने और धीरे–धीरे यह तकनीक विकसित हुयी कि शुद्ध सोने में कौन सी धातू किस मात्रा में मिलाकर गलाने पर स्वर्ण का किस प्रकार का होगा तथा उससे किस प्रकार के आभूषण बनाये जायेंगे। स्वर्ण को आग से तपाने के लिए मुकभूषा, पुतीकिट, भौंकनी, नाली, संडासी, जोगनी एवं करकट मुख इत्यादि औजारों का उपयोग किया जाने लगा था। स्वर्ण को गलाते समय उसकी चमक एवं शुद्धता को बढ़ाने की दृष्टि से सुहागा एवं शोरा इत्यादि उसमें मिलाए जाने लगे थे।

मौर्य शासनकाल में ही नवीन नगर बसाये जाने लगे थे, नवीन नगर बसाने हेतु सबसे पहले इंजीनियर ऐसी जगह को खोजता जो कंकरीली या पथरीली एवं ऊबड़–खाबड़ नहों होता था। जहाँ पर किसी प्राकृतिक एवं मानवीय उपद्रव–बाढ़, आगजनी, चोर या शत्रु के आक्रमण का भय कदापि नहीं होता, जहां अन्य कोई दोष नहीं होते और वह अत्यन्त ही रमणीय होता है, ऐसे स्थलों का चयन कर लेने के बाद इंजीनियर द्वारा वहाँ के ऊंची–नीची जमीन को इंजीनियर समतल मैदान के रूप में परिवर्तित कराता तथा वहाँ की झाड़ियो को श्रमिकों से कटवाकर साफ करवाते थे। तत्पश्चात् प्राणिमात्र के हितों को दृष्टिगत रखते हुए शहर का नक्शा तैयार करते थे। नक्सा को तैयार करते समय वहां की रमणीयता को केन्द्र में रखते हुए नाप जोखकर अनेक भागों में विभाजित कर चारों ओर खाई, हाता, किलाबंदी, चौकस अटारियां, मजबूत फाटक, बीच–बीच में दुकानों की उद्यान, चौक, चौराहें, दोराहें, साफ सुथरे व बराबर राजमार्ग, बीच–बीच में दुकानों की कतारें, प्राणियों के आराम हेतु बगीचे, तालाब, बावली–चौड़ा कुंआ जिसमें नीचे जाने हेतु सीढ़ियां बनी हो, सीड़ीयुक्त तालाब, कुएं, देवस्थान इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए शहरों को बसाया जाने लगा और जब नगर पूरी तरह बस जाता था तो इंजीनियर को उस नगर में रहने के लिए पाबन्दी लगा दी जाती थी तथा उसे किसो अन्य प्रदेश में जाकर रहने के लिए आदेश प्रसारित कर दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य काल प्राणिमात्र के जीवन की रक्षा हेतु गन्दा पानी को स्वच्छ करने हेतु फिटकरी का उपयोग किया जाता था और चम्पा नामक स्थल पर कपास को धुनने के लिए धुनकी नामक यंत्र का प्रयोग किया जान लगा था।

अशोक ने कलिंग युद्ध के व्यापक नरसंहार के बाद अपना सम्पूर्ण जीवन लोक कल्याणकारी कार्यों अर्थात् प्राणिमात्र की रक्षा करने में लगा दिया। उन्होंने प्राणिमात्र के हितों को सुखद बनाने के लिए सड़कें बनवायी जिनको किनारों पर फलदार एवं छायादार वृक्ष लगवाये, कुओं का निर्माण करवाया, धर्म शालाएं निर्मित

करवायी, बावलियां का निर्माण कराया, तालाबों को निर्मित करवाया, मनुष्यों व पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से चिकित्सालयों इत्यादि का निर्माण भी करवाया। इतना ही नहीं अशोक ने अपने साम्राज्य में यह आदेश प्राणिमात्र रक्षा के लिए जारी करवा दिया कि प्रजा अपने कष्ट निवारण हेतु राजा से किसी भी समय आकर मिल सकती है। अशोक के शासनकाल में प्रजा के कष्टों में कमी आयी थी।

विश्लेषण –

सम्राट अशोक को सिंहासन 278 ईसा पूर्व में ही हासिल हो गया था, लेकिन आपसी गृहयुद्ध चलते रहने के कारण सम्राट अशोक का वास्तव में एक शासक के रूप में राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंहासन की लोलुकता के सम्बन्ध में दीपवंश व महावंश ने लिखा है कि अशोक ने अपने 99वें भाइयों की हत्या की थी। अशोक का राज्याभिषेक होने से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 साल पश्चात् कश्मीर एवं खेतान के कई भूभागों को अपने साम्राज्य में समेकित कर लिया। अशोक के साम्राज्य म तमिल प्रदेश के अलावा सम्पूर्ण भारत तथा अफगानिस्तान का सर्वाधिक विशाल प्रान्त सम्मिलित था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें साल अर्थात् 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा उस पर अपना विजय स्थापित कर लिया। अशोक के कलिंग युद्ध का विवरण उसके 13वें स्तम्भ लेख में किया गया है।

कलिंग युद्ध में व्यापक मात्रा में नरसंहार देखकर अशोक का हृदय विचलित हो गया, जिसके फलस्वरूप उसने शस्त्रों को त्यागने की घोषणा अपने साम्राज्य में कर दिया, परन्तु इसके पहले वे ब्राह्मण मतानुयायी थे। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा–दीक्षा उपगुप्त ने प्रदान किया था, वास्तव में सम्राट अशोक एक प्रमुख शाखा स्थविर का घोर भिक्षु था, उसने अपने पुत्र व पुत्री – महेन्द्र व संघमित्रा को बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें साल में सबसे पहले बौद्ध गया की यात्रा को पूरा किया था तथा शासनकाल के 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा किया था और सम्राट अशोक अपने शासनकाल में प्राणिमात्र के हित के लिए लुम्बिनी ग्राम को कर से स्वतंत्र कर दिया था। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु कलिंग (उड़ीसा) राज्य पर आक्रमण करने से करीब एक लाख लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी, युद्ध में 1.50 लाख व्यक्तियों को बन्दी बनाकर निर्वासित कर दिया गया और 1.5 लाख लोग घायल भी हुए, जिस भारी नरसंहार को अशोक अपनी आंखों से देखा था। इन मरने वालों में सर्वाधिक संख्या सैनिकों की थी। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद कलिंग पर अशोक का कब्जा हो जाने के बाद मौर्य वंश का सर्वप्रथम शासन अशोक तो बन गया लेकिन इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात ने अशोक के हृदय को झकझोरकर रख दिया, जिससे दुःखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म के भिक्षु से उपाय पूछा और उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर शान्ति, लोककल्याण, सामाजिक प्रगति एवं धार्मिक प्रचार में अपना जीवन कलिंग के युद्ध के बाद लगा दिया। इस युद्ध ने अशोक के हृदय में काफी बदलाव कर दिया था, उनका हृदय प्राणिमात्र की रक्षा के लिए दया एवं करूणा से भर गया और उन्होंने युद्ध क्रियाओ को सदा के लिए बन्द कर देने की प्रतिज्ञा ले ली और यहीं से अशोक के आध्यात्मिक एवं धम्म युग का प्रारम्भ होता है, इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।

सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण लेने के बाद प्राणिमात्र की रक्षा के लिए और प्राणियों में सदाचार, विश्वबंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, कल्याण, सहिष्णुता, अहिंसा एवं सद्भाव इत्यादि के भावों का रोपण करने की दृष्टि से अपने साम्राज्य में शिलालेखों का निर्माण करवाया। अशोक ही भारतीय शासकों में ऐसा पहला शासक रहा है जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को सीधे सम्बोधित करने का सकारात्मक प्रयास किया है।

अशोक के प्राणिमात्र रक्षा की दृष्टि से अभिलेखों का स्वरूप –

सम्राट अशोक ने प्रजाओं में मानवीय चेतना जागृत करने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था, जिसे उन्होंने शिलालेखों में लिपिबद्ध कराया था। अशोक के शिलालेख 5 रूपों–दीर्घ–अभिलेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तम्भ लेख एवं लघु स्तम्भ लेख में विभक्त है। इनका अभिलेख सबसे अधिक प्राकृत भाषा में है। इनके अभिलेख प्राकृत भाषा के अतिरिक्त बाहमी, खरोष्ठी, ग्रिक एवं अरमाइक लिपियों में भी भारतीय इतिहास में मिलते हैं। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से मानसेहरा (पाकिस्तान) एवं शाहबाजगढ़ी के आलेख खरोष्ठी भाषा में लिये गये हैं। सम्राट अशोक लघुमान (अफगानिस्तान) व तक्षशिला के अभिलेख अरमाइक भाषा में लिपिबद्ध में किये गये हैं। समाट का शेर–ए–कुना (अफगानिस्तान) का अभिलेख ग्रिक एवं अरमाइक भाषा में

लिखे गये हैं। उपरोक्त भाषाओं में बाहमी भाषा बायें से दायें और खरोष्ठी भाषा दायें से बांये लिखी जाती है। वर्ष 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेप ने अशोक के बाहमी एवं खरोष्ठी भाषा को पढ़ा था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में कुछ प्रमुख शिलालेख ऐसे हैं, जिन पर स्पष्ट रूप से प्राणिमात्र की रक्षा हेतु लोकहित की लिपियों का उल्लेख किया गया है, जिनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूर्णतः जनसेवक बन गया था। इनके कुछ प्रमुख शिलालेख एवं उनके विषयों का विवरण निम्नानुसार है–

1) पहला शिलालेख– पशु वध निषेध –

सम्राट अशोक ने लोकहित की दृष्टि से अपने प्रथम शिलालेख में सम्राट रूप से लिपिबद्ध कराया है कि प्राणियों द्वारा पशुओं का वध/हत्या करने पर रोक लगायी गयी थी, जिसे साम्राज्य के प्रजाओं के बीच व्यापक स्तर पर प्रसारित करने हेतु जनसमुदाय बाहुल्य स्थलों पर लिपिबद्ध करा दिया गया ताकि पशु हत्या पर रोक लगा दी।

2) दूसरा शिलालेख – विदेशों में धम्म प्रचार, मनुष्य व पशु चिकित्सा का उल्लेख–

अशोक ने प्राणिमात्र की रक्षा हेतु लोकहित में धम्म विचारधारा का शुभारम्भ किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य करूणा, दया, दान, वात्सल्य एवं अहिंसा के भाव से जीवन व्यतीत करना। प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए अशोक ने चिकित्सा व्यवस्था का भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया, ताकि साम्राज्य के प्राणियों में से शारीरिक वेदना को कम से कम किया जा सके, इसके प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने दूसरे शिलालेख का निर्माण करवाया था, ताकि मानवीय समाज से शारीरिक कष्टों को कम किया जा सके।

3) तीसरा शिलालेख – राज्जुक व युक्त की नियुक्ति तथा राज्य के अधिकारियों को पत्येक पाँच वर्षो में राज्यभ्रमण का आग्रह –

सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य की प्रजाओं के दुःखों व कष्टों को समझने व जानने के लिए शासन स्तर पर राज्जुक एवं युक्त की नियुक्ति की और साम्राज्य के अधिकारियों/पदाधिकारियों से स्वतंत्र मुख से आग्रह किया कि वे पत्येक पांच वर्षो के बाद राज्यों का भ्रमण कर वहाँ के राज्यों की गतिविधियों एवं प्राणियों के आचार–व्यवहार व व्यवस्था से हमें अवगत कराये, ताकि मैं प्राणिमात्र की वेदनाओं को समझकर उन्हें दूर करने का अकादमिक प्रयास कर सकूं, जिसे लोकहित की भावना से उन्होंने इसे अपने तीसरे शिलालेख में लिपिबद्ध कराया।

4) चौथा अभिलेख – भेरीघोष के स्थान पर धम्मघोष का प्रतिपादन –

सम्राट अशोक ने प्राणिमात्र के सुखद वातावरण हेतु अपने चौथे अभिलेख में भेरीघोष अर्थात् विजयप्राप्ति की लोलुपता के स्थान पर धर्म व कमप्रधान धम्मघोष को लिपिबद्ध कराया, ताकि समाज के सभी लोग मानव अनुकूल व्यवहार करें, समाज का कोई भी प्राणि किसी प्राणि को कष्ट न दें और न ही उनके हितों का हरण करें। अशोक ने अपने धम्मघोष द्वारा सम्पूर्ण मानव समाज को एक नवीन दिशा देने का सार्थक पहल की थी। धम्म के नियमों का पालन कर मानव इहलोक एवं परलोक दोनों जगहों पर स्वर्ग का भागीदार बन सकता है।

5) पांचवा अभिलेख – धम्म महापालों को नियुक्ति करना –

चक्रवर्ती अशोक ने धम्म के विचारों को सभी प्रान्तों में प्रसारित करने हेतु महापात्रों की नियक्ति करायी जो कालान्तर में ब्राह्मण पुरोहित के रूप में प्रजाओं के मध्य प्रचलित रहे जिसका उल्लेख अशोक अपने अभिलेख में प्राणिमात्र तक धम्म विचारों को पहुंचाने के लिए किया था।

6) छठां अभिलेख – प्रशासनिक सुधारों का वर्णन –

अशोक ने अपने छठें अभिलेख में जनमानस से सम्बन्धित मामलों के समाधान हेतु प्रशासनिक गतिविधियों में किये गये सुधारों का उल्लेख किया है, जिससे मौर्य साम्राज्य की प्रजाओं की सहानुभूति अर्जित की जा सकी और उनका शासन बिना किसी बाधा के एक लम्बी अवधि तक चलता रहे। इसके लिए अशोक ने ग्रामीण स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जिनके प्रति गांव का सरपंच उत्तरदायी होता था। वह ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहे विद्रोह, दुराचार इत्यादि के सम्बन्ध में अधिकारियों को सूचना देते थे, जिनके माध्यम से सम्राट अशोक उन कुरीतियों को निष्पक्ष भाव से दूर करने का सार्थक पहल करता था।

7) सातवां अभिलेख– सभी धर्मो के प्रति निष्पक्ष भाव –

सम्राट अशोक ने प्राणिमात्र के सुखद भाव के लिए अपने सातवें अभिलेख में स्पष्ट किया है कि वह विश्व के सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखेगा। वह किसी भी वर्ग को अच्छा या बुरा नहीं बतलाया, उन्होंने

अपने साम्राज्य के लोगों को धम्म के नीति का पालन करने के लिए किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग करना अनुचित समझा। वह प्राणिमात्र की रक्षा हेतु धम्म विचारधारा का शुभारंभ किया था ताकि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखद जीवन का आनंद ले सके।

8) आठवां अभिलेख – बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का उल्लेख–

कलिंग के युद्ध में हुये व्यापक नरसंहार से दुःखी होकर अशोक ने धम्म को अपनाया जो बहुत कुछ बौद्ध धर्म से मिलता–जुलता है। अशोक ने अपने आठवें अभिलेख में लिपिबद्ध किया ह कि वह बोधगया की यात्रा किया था और इस तरह की यात्राओं का प्राणिमात्र की रक्षा के लिए विरोध किया और लिपिबद्ध कराया कि बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म की यात्रा शासकों द्वारा की जानी चाहिये। इस प्रकार की यात्रा करने के पीछे उसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि समाज में व्याप्त भेदभाव, कुरीतियों एवं पापों इत्यादि का समूल नष्ट सम्भव हो और सम्पूर्ण प्रजा सहिष्णुता की भाव से सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करे।

9) नौवां अभिलेख – अच्छे विधानों व शिष्टाचार का उल्लेख –

इन्होंने नौवें अभिलेख में प्राणिमात्र के कल्याण हेतु सही विधानों व शिष्टाचार के वर्णन को इसमें लिपिबद्ध कराया है ताकि साम्राज्य की प्रजा सही नियमों का अनुसरण कर आपसी भाईचारे की भावना से जीवन व्यतीत करते हुये एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके और मौर्य साम्राज्य का प्रजा निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत करे।

10) दसवां अभिलेख – अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्माचरण –

अशोक ने अपने दसवें अभिलेख में उद्यम का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु धम्म के अनुरूप आचरण करने को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हुए लिपिबद्ध कराया है। अशोक का मानना था कि जब तक उद्यम का लक्ष्य प्राणि उन्मुख नहीं होगा तब तक उसका विकास सम्भव नहीं हो सकेगा इस हेतु अशोक ने स्पष्ट कहा कि उद्यम में कार्य करने के व्यक्तियों के साथ सद्व्यवहार किया जाना चाहिये तभी यह सम्भव हो सकेगा कि उद्यम अपनी ऊँचाइयों को छूँ पाये अन्यथा की स्थिति में उसका विकास सम्भव नहीं है।

11) ग्यारहवां शिलालेख – धम्म से सम्बद्ध तत्वों का प्रकाशन –

अशोक ने अपने इस शिलालेख में प्राणिमात्र के हितार्थ धम्म के तत्वों को इसमें लिपिबद्ध कराया है। इन्होंने धम्म के तत्वों को शिलालेख में इस दृष्टि से लिपिबद्ध कराया ताकि इसके तत्वों को अधिक समय तक प्रजाओं के मध्य विस्तारित किया जा सके और मौर्य साम्राज्य की प्रजा धम्म के तत्वों का अनुसरण कर मानव कल्याण के वशीभूत होकर जीवन व्यतीत करे।

12) बारहवां शिलालेख– धार्मिक सहिष्णुता पर बल –

इन्होंने अपने बारहवें शिलालेख में प्राणिमात्र के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए धार्मिक सहिष्णुता पर बल देने वाले कारकों को लिपिबद्ध कराया है। उन्होंने अपने आत्म मंथन से यह स्वीकारा था कि प्रजा के ऊपर शासक की भूमिका में धार्मिक सहिष्णुता के भाव को अपनान हेतु नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग अथवा धर्म की खोज की जिसके माध्यम से प्राणियों में प्राणिमात्र के कल्याण के भाव को जगाया जा सकेगा वह था धम्म का विचार।

13) तेरहवां शिलालेख – कलिंग के विजय की घोषणा और विदेशों में धम्म का प्रचार –

अशोक ने अपने इस शिलालेख में कलिंग पर विजय हासिल होने को लिपिबद्ध कराने के साथ धम्म की नीति का शुभारम्भ करने और इसके विचारों को विदेशों में प्रसारित करने हेतु भिक्षुओं को भेजने को भी इसमें उल्लेखित किया है। इससे यह सुस्पष्ट होता है कि अशोक कलिंग युद्ध के पूर्व एक साम्राज्य लोभी शासक रहा और इसके बाद निर्मम हत्याओं का साक्षी होने के बाद वह बौद्ध धर्म की शरण ले ली जिसके सानिध्य में रहकर उन्होंने मौर्य साम्राज्य के प्राणियों के हित में एक नवीन धर्म अर्थात् धम्म का शुभारम्भ किया।

14) चौदहवां शिलालेख – पूर्व के शिलालेखों का पुनरावलोकन –

इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने पूर्व के 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन कर उनकी खामियों एवं खूबियों को विश्लेषित कर लिपिबद्ध कराया है।

सम्राट अशोक ने अपने व्यक्तित्व के प्रचार प्रसार हेतु शिलालेखों का प्रयोग किया। जिसे उन्होंने अत्यन्त व्यापक स्वरूप उस समय देना प्रारंभ किया जब उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण कर धम्म के विचारधारा का शुभारम्भ किया। उन्होंने मौर्य समाज के प्राणिमात्र की रक्षा के लिए धम्म के विचारों को व्यापक स्तर पर प्रसारित

करने हेतु शिलालेखों को अपनाये, जिस पर उन्होंने इसके विचारों को विश्व स्तर पर प्रसारित करने हेतु लिपिबद्ध कराना प्रारम्भ कर दिया जिसे पूर्व के 13 शिलालेख व अभिलेख का अध्ययन कर स्पष्ट किया जा सकता है। सम्राट अशोक क हृदय में प्राणियों के प्रति सहानुभूति का भाव कलिंग के नरसंहार की देन है।

सम्राट अशोक के लोककल्याणकारी कार्यो से सम्बद्ध स्तम्भ भी प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य साम्राज्य में प्राणिमात्र की रक्षा के लिये व्यापक रूप से प्रसारित करने हेतु स्तम्भों में लिपिबद्ध किये गये थे। जो क्रमशः इस प्रकार है –

दिल्ली– मेरठ –

सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य के प्राणिमात्र के कल्याण के लिए मेरठ में मुख्य रूप से इस स्तम्भ पर लोकहित के प्रसार हेतु शासन के आदेशों को लिपिबद्ध कराया था, जिसे फिरोजशाह तुगलक ने उसे मेरठ से लेकर अपनी नवीन राजधानी में स्थापित करवा दिया गया था ताकि उसके द्वारा में लोकहित कार्यो का प्रसार किया जाए।

दिल्ली–टोपरा –

अशोक ने यह स्तम्भ मूल रूप से टोपरा अर्थात् अम्बाला–हरियाणा में स्थापित करवाया था, जिसे फिरोजशाह तुगलक द्वारा अपनी नवीन राजधानी फिरोजशाह दिल्ली में लाकर स्थापित करवाया गया। तुगलक द्वारा इस स्तम्भ को खुदवाकर लाने के पीछे अशोक के लोकहित कार्यो का मानवों तक पहुँचाना रहा है।

प्रयाग –

आधुनिक समय में सम्राट अशोक का यह स्तम्भ इलाहाबाद के किले में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मुख्य रूप से कौशाम्बी में स्थापित करवाया गया था। इसे रानी अभिलेख के नाम से भी सम्बोधित किया जाता हैं। अशोक के इसी स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की सुप्रसिद्ध प्रशासित भी विद्यमान है और इसी स्तम्भ पर जहांगीर द्वारा उत्कीर्ण करवाये गये अभिलेख भी मौजूद है।

रामपुरवा –

सम्राट अशोक का यह बहुचर्चित स्तम्भ बिहार प्रान्त के चम्पारन जिले में आज भी उपलब्ध है।

लौकिया अरराज –

अशोक का यह स्तम्भ आज भी उत्तरी बिहार प्रान्त के चम्पारन जिले में साक्ष्य के रूप में मौजूद है।

सम्राट अशोक के उक्त स्तम्भों को देखने से स्पष्ट होता है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद मानव प्रेमी होकर प्राणियों की रक्षा करने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक ने प्राणिमात्र के कल्याण के लिए अहिंसा के प्रचार हेतु अनेक समसामयिक साहसपूर्ण कदम उठाये। अहिंसा को अपनाते हुए युद्ध करना बंद कर दिया तथा स्वयं एवं राज्य के कर्मचारियों को प्राणिमात्र के नैतिक उत्थान करने की गतिविधियों में लगा दिया। समाज के जीवों की हत्या को रोकने हेतु उन्होंने अपने प्रथम शिलालेख में लोकहित की भावना से विक्षप्ति जारी कर दिया कि किसो भी प्रकार का यज्ञ या अनुष्ठान के पूर्णता के लिए पशुओं का वध न किया जाय। अशोक के रस राज्यादेश से अनुमान लगाया जाता है कि यह प्रतिबद्ध या तो राजभवन या फिर पाटलिपुत्र लिए था न कि मौर्य साम्राज्य की सम्पूर्ण प्रजाओं के लिए क्योंकि अशोक एक समय स्वयं उसका समथक रहा था। इसलिए पशु बली को अचानक रोक पाना असम्भव था। इसलिए अशोक ने अपने राज्य फरमान के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप लिखा है कि राजकीय रसोई में जहाँ पहले सैकड़ों व हजारों पशुओं का वध भोजन के लिए किया जाता था, अब मात्र तीन प्राणी, और एक मृग मारे जायगे और आने समय में उन्हें भी नहीं मारा जायेगा। इसके साथ अशोक ने यह भी फरमान जारी किया कि ऐसे सामाजिक उत्सव राज्य में नहीं होने चाहिये जहाँ अनियंत्रित आमोद प्रमोद को साक्ष्य के रूप में मलयुद्ध, सुरथान, जानवरों की लड़ाई एवं मांस भक्षण इत्यादि इसके स्थान पर अशोक ने प्राणिमात्र की रक्षा के लिए धम्म के सभाओं की व्यवस्था की जिनमें हाथी, अग्निस्कध एवं विमान आदि स्वर्ग की झलकियाँ दिखाई जाती थी तथा प्रजाओं के मध्य धम्म के प्रति करूणा व अनुराग उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। सम्राट अशोक ने प्राणिमात्र की रक्षा करने के लिए बिहार यात्राएँ जिनमें मुख्य रूप से पशु पक्षियों का शिकार करना साम्राज्य के राजाओं का प्रमुख मनोरंजन का साधन था। उसे अशोक ने लोककल्याण के लिए बंद कर दिया और उनके स्थान पर राजाओं के लिए धम्म यात्राएं करने को कहा। इस यात्रा के अवसर पर सम्राट अशोक साम्राज्य के ब्राह्मणों, श्रवणों को दान देता और वृद्धों को सुवर्ण दान के रूप

में देता। अशोक के व्यक्तिगत उपदेश से समाज के जनमानस के बीच धर्म प्रसारण में काफी मदद मिला। अशोक ने मौर्य साम्राज्य के प्राणिमात्र के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न बौद्ध स्थलों – लुम्बिनी, खिलजीसागर एवं बोधसागर इत्यादि की यात्राएं की। अशोक के इन धर्म यात्राओं से प्रान्त के अनेक स्थानों के व्यक्तियों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला और धर्म व शासन के विषय में उनके सुविचार जानने का अवसर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ। इन यात्राओं से एक पकार का स्थानीय शासकों पर अशोक का नियंत्रण भी बना रहता था। अशोक ने प्राणिमात्र के सुखद जीवन के लिए राज्य के कर्मचारियों को प्रति पांचवें वर्ष में धर्म प्रचार हेतु यात्रा करने को कहा, जिनमें प्रादेशिक राजुक एवं युक्तकों को सम्मिलित किया गया था। सम्राट अशोक प्राणिमात्र की रक्षा हेतु इस प्रकार के किये गये प्रयास को अनुसंधान की संज्ञा दी गयी है।

सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14 वें साल में प्राणियों की रक्षा की दृष्टिकोण से एक नवीन प्रकार की कर्मचारियों की नियुक्ति की जिन्हें उन्होंने धम्म महापात्रा कहकर पुकारा। यह अपने कार्य के दृष्टि से एक नवीन प्रकार का कर्मचारी था, जिनका प्रमुख कार्य साम्राज्य की प्रजा को प्राणियों की रक्षा हेतु धम्म की बातों को समझाना तथा उनमें इस विचारधारा के प्रति रूचि उत्पन्न करना था। अशोक द्वारा नियुक्ति किये गये धम्म महापात्रा समाज के समस्त वर्गो–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दास, निर्धन एवं वृद्ध लोकहित, कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए कार्य करते थे। वे कर्मचारी विदेशों एवं सीमान्त देशों ने भी कार्य करते थे। मौर्य साम्राज्य के सभी प्रकार के लोगों तक अथवा सम्प्रदायों तक इन कर्मचारियें की स्वतंत्र पहुँच थी। उनका प्रमुख कार्य था धर्म के सम्बन्ध में व्यक्तियों में आपसी सहमति व रूझान को बढ़ाना। मौर्य साम्राज्य के ब्राह्मण, श्रमण एवं राज्यघराने के व्यक्तियों को श्रमशील कार्यो हेतु प्रेरित करना, कारावास के कैदियों के दण्ड को कम करवाना, प्रजाओं की अन्याय से मुक्ति दिलाना और कारावास से कैदियों को रिहा करवाना। सम्राट अशोक ने कर्मचारियों की नियुक्ति करने के एक वर्ष पहले ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अनेक जगहों पर प्राणियों के हितार्थ से सम्बन्धित शिक्षाओं के अभिलेखों व शिलालेखों में उत्कीर्ण करवा दिया था ताकि मौर्य साम्राज्य के अधिक से अधिक लोग इसे पढ़े और इसी के अनुरूप मानव कल्याण हेतु कार्य करें।

मौर्य शासनकाल के विषय में मेगस्थनीज के द्वारा लिया गया है कि भारतवर्ष के मनुष्य कदापि झूठ नहीं बोलते, वे लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं तथा अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यायालयों के शरण में बहुत कम जाते हैं। सुनिश्चित प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य शासन काल स्वर्ण युग था। तब पाटलिपुत्र संसार के गिने चुने प्राचीन नगरों में से एक था। पाटलिपुत्र के बीच में मौर्य शासकों का राजप्रसाद विद्यमान था। स्ट्रवो के माध्यम से लिखा गया है कि पाटलिपुत्र का राजभवन एशिया के सुप्रसिद्ध सूसा एवं एकबटना के राजभवन से कहीं ज्यादा अत्याधिक अच्छा/शानदार था, जो व्यक्ति मौर्य कला पर ईरानी कला के प्रभाव के पक्षपात करते हैं, उन लोगो को इसका जबाब ढूढना चाहिए।

सम्राट अशोक का साम्राज्य पुरातात्विक आधार पर उत्तरी पश्चिमी भाग में हिन्दूकुश से लेकर पूर्वी भाग में बंगला तक और उत्तरी भाग में हिमालय की तराई से दक्षिणी भाग में मैसूर तक विस्तारित था। प्राचीन समय के भारत का कोई भी शासक इतना सर्वाधिक प्रान्त का राजा नहीं था। इसके बारे में डॉ. स्मिथ ने लिखा है कि 2000 वर्ष से भी पूर्व भारत के पहले शासक/सम्राट ने उन वैज्ञानिक सीमान्त को अपने अधिकार में कर लिया था, जिसके हेतु उसकी ब्रिटिश शासक उत्तराधिकारी बेकार ही आहे भरता रहा और जिसने सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी के मुगल बादशाह भी कभी पूर्ण स्वरूप से इस सीमान्त पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था। सम्राट अशोक के राजपद का आदर्श था कि प्राणिमात्र के हित की रक्षा हेतु प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान पर हमें प्रजा की आवाज सुनने हेतु बुलाये जा सकते हैं। चाहे हम भोजन कर रहे हों, हम सो रहे हों, चाहे अन्तःपुर में हो, अथवा अपने उद्यान में रहूँ, साम्राज्य के अधिकारी प्रजा की कोई भी बात मेरे पास लेकर आ सकते हैं। प्राणिमात्र की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हैं सर्व लोकहित से बढ़कर मेरा अन्य दूसरा कोई काम नहीं है।

सम्राट अशोक लोकहित की दृष्टिकोण से प्राणिमात्र की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहते थे। वे समस्त मानवों को अपने संतान के रूप में देखते थे। सम्राट अशोक सम्पूर्ण मानवों को अपना संतान मानने वाले स्थान–स्थान पर मानवों एवं पशुओं हेतु चिकित्सालयों का निर्माण करवाये तथा कुंओं व तालाबों को खदवाया इसके साथ–साथ ही उन्होंने प्रजा के आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने सड़कों के दोनों किनारों पर फलदार एवं छायादार पेड़ों को लगवाया। अशोक अपने लोकहित कार्यो हेतु सबसे अत्याधिक विद्यमान है तथा इस भूभाग में उनकी बराबरी करने वाला दूसरा अन्य शासक इतिहास में मिलना मुश्किल है।

सम्राट अशोक कलिंग की युद्ध के पश्चात् गंगा घाटी के धर्म को उच्च उठाकर संसार के धर्म का स्वरूप प्रदान कर दिया। लेनिन द्वारा मार्क्स के सिद्धान्तों को लागू किया और इसी सिद्धान्त पर वह चलकर संसार में वो शोहरत एवं मुकाम प्राप्त किया जो इतिहास में बहुत ही कम शासकों को हासिल हुआ है। जिन दर्शन तथा दार्शनिक की खोज में चक्रवर्ती महान अशोक के पिता बिन्दुसार युनान तक अपनी नजरों को टिकाये हुये थे वे सम्राट अशोक की आँखों ने वह दर्शन एवं दार्शनिक अपने भारतवर्ष मे ढूढ निकाला। अशोक के शिलालेख एवं स्तम्भ लेख राष्ट्र के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुया है। प्राणिमात्र की हित के लिए उन्होंने भिक्षुओं हेतु पत्थरों को कटवाकर गुहाओं का निर्माण किया गया, बौद्ध मान्यता के अनुरूप 84000 स्तूपों को निर्मित करवाये तथा स्थान–स्थान पर स्तम्भ खड़ा करवाये, जिनकी चमक अत्याधिक शानदार है। सम्राट अशोक स्तम्भ कारीगरी के एक अनोखा नमूना हैं लगभग 40 से 50 फीट ऊँची एक ही पत्थर से निर्मित हुये जिसकी चिकनाई से हर युग के वास करने वाले आश्चर्यचकित होते हुये आये हैं। सारनाथ स्तम्भ पर सिंहों के जैसे बल का प्रदर्शन है, उसकी उभरी हुये नसों में जैसे स्वाभाविकता है, वो न सिर्फ इसी भारत वर्ष के बल्कि सम्पूर्ण विश्व के मूर्ति विन्यास में अद्वितीय/अद्भुत/अप्रतिम है। मौर्य शासनकाल फलतः अनुशासन प्रिय था। जयचन्द्र विद्यालंकार इसको अनुशसन की संज्ञा प्रदान की है। व्यवस्था के अनुसार इसको प्रशसन के नाम से सम्बोधित किया जाय तो रोमिला थापर के माध्यम से लिखा गया है कि मौर्य शासन प्रविधि व्यापक स्वरूप से सुनियोजित किया गया था, जिनमें कई विभाग और अधिकारी नियुक्त किये गये थे। सम्राट अशोक ने इन विभागों एवं अधिकारियों के कार्यो को पूर्णतः सुस्पष्ट कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल राज्य के प्रशासन से सर्वाधिक संगठित था। सेना की ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि सेल्यूकस की सैन्य फौज को हारना पड़ा, लेकिन मुगल सैन्य कमजोर पर्तगाली फौज से परास्त हो गया। उचित अर्थो में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक पहले राष्ट्रीय शासक थे, जो सम्पूर्ण देश को एक भाषा एवं लिपिबद्ध करके एकता के धागे में बांध दिया। आजाद भारत ने सारनाथ स्तम्भ के सिंह शीर्ष को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप में अपना कर मानवता के इस महान सम्राट के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजली अर्पित किया है। स्वर्ण का लंका, मोरध्वज की कथा, लाट भैरो का सच, क्या चपड़ ही चाणक्य है, गणपति बप्पा मोरया यथा गल्प लिजिद्रियो की परीक्षण मौर्य वंश के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। सम्राट अशोक प्राणिमात्र क हित की रक्षा हेतु सर्वदा तत्पर रहते थे।

वास्तव में यदि सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया जाय तो यह भलीभांति प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक मानव कल्याण प्रेमी कलिंग युद्ध के बाद बना, इस युग के बाद अशोक के शासन करने का स्वरूप ही बदल गया। उन्होंने कलिंग के युद्ध से दुःखी होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के नियमों को स्वीकारते हुये उन्होंने प्रजा के कल्याण हेतु एक अलग से अपना विचार धम्म के रूप में मानव समाज को सामने रखा था, इसके माध्यम से अशोक प्रजा के बीच अपना दूसरा स्वरूप शासन करन का प्रस्तुत किया, जो पूर्णतः मानव प्रेमी था। अशोक ने प्राणिमात्र के हितों की रक्षा के लिए साम्राज्य की प्रजा के बीच सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, दान, दया एवं न्याय परख इत्यादि विचारों को सामने रखा, ताकि साम्राज्य की प्रजा इनका अनुसरण कर इसी के अनुरूप व्यवहार करे। इसके लिए सम्राट अशोक ने उपरोक्त सभी विचारों को सबसे पहले अपने अन्दर लाया, इसके बाद उसे साम्राज्य की प्रजा के सम्मुख रखा ताकि जनमानस को यह न लगे कि शासक द्वारा उनके ऊपर इन विचारों को जबरन अध्यारोपित किया जा रहा है।

सम्राट अशोक प्राणि प्रेमी होकर प्राणियों के कल्याण के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य के पथिकों, शैन्यबल व प्रजा इत्यादि के आवागमन को सरल व सहज बनाने की दृष्टि से व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण कराया और इन सड़कों के किनारे किनारे छायादार वृक्षों का रोपण भी अपने सान्धि में करवाया। वृक्षारोपण करवाने के परिप्रेक्ष्य में अशोक ने नव मील की दूरी पर फलदार वृक्षों में मुख्य रूप से आज के बगीचों के रूप में आम के वृक्षों का रोपण करवाया था। इसके साथ–साथ प्राणिमात्र के हितों की रक्षा के लिए अशोक ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजा के कल्याण की दृष्टि से मंत्रियों/पदाधिकारियों की देख–रेख में विश्राम गृह, बागवानी, कुँओं, तालाबों, नहरों एवं लोगों को पेयजल की सुविधा मुहैया कराने हेतु प्याऊ में लगवाये थे। अशोक ने प्राणिमात्र के कल्याण हेतु चिकित्सीय व्यवस्था, औषधालयों का निर्माण, औषधीय वृक्षों का रोपण तथा शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि का व्यापक स्तर पर निर्माण करवाया, ताकि साम्राज्य की प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, उन्होंने लोगों के कष्टों व दुखों को अपनी नजरों से देखा था, इसलिए वह उनकी अथवा प्रजाओं की वेदनाओं को भलीभांति जानता व समझता था।

निष्कर्षतः

कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने प्राणिमात्र की रक्षा हेतु मनुष्यों व पशुओं के जीवन दान देने का भी अभयदान दिया, इसके लिए उन्होंने पशुओं की निर्मम, हत्या कर राजकीय भोजन में पकाये पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और साम्राज्य के लोगो द्वारा किये जाने वाले पूजा पाठ, यज्ञ व अनुष्ठान इत्यादि पर देवों को प्रसन्न करने हेतु दिये जाने वाले पशुओं की बलि पर भी रोक लगा दिया, उन्होंने इस प्रकार पशुओं की हत्या करने वालों के लिए बतलाया कि वह इस लोक में ही नहीं परलोक में भी नरक का भागीदार होगा, नरक का भागीदार न होने के लिए अशोक के साम्राज्य के लोगों को उपदेशित किया कि वे प्राणियों की रक्षा करे और जहाँ तक सम्भव हो सके उनके कल्याण हेतु कार्यों का सम्पादन करे, इससे जनमानस इहलोक के साथ–साथ परलोक में भी स्वर्ग का भागीदार बनेगा। अतः अशोक के प्राणिमात्र के हितों का सुखमय जीवन व्यतीत करे, इसके लिए अशोक ने शासन स्तर पर जहाँ तक हो सका, वहाँ तक मानव कल्याण हेतु कार्य किये थे, जिसकी वजह से देश में ही नहीं पूरे विश्व में अशोक का नाम अमर हो गया।

संदर्भ –

1) श्रीवास्तव, के.सी.– प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, युनाईटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 2008, पृष्ठ 134
2) गुप्ता, शिवकुमार – प्राचीन भारत का इतिहास, पंचशील प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 1988, पृष्ठ 214
3) सिंह, डॉ. विपिन – प्राचीन भारत का इतिहास, ज्ञानदा प्रकाशन सी एण्ड डी, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ 225
4) पाण्डेय, एस.के. – प्राचीन भारत प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशन एण्ड डिस्टीब्यूटर्स ऐलनगंज, इलाहाबाद, 2014, पृष्ठ 291
5) रस्तोगी, दयाप्रकाश – भारत का इतिहास, साधना प्रकाशन रस्तोगी, स्ट्रीट, मेरठ 1999, पृष्ठ 236
6) सिंह, डा. विपिन – प्राचीन भारत का इतिहास, ज्ञानदा प्रकाशन सी एण्ड डी, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ 142